1505 hours

Title: Discussion on the Demands for Supplementary Grants (General) for the year 2000-2001 and Demands for Excess Grants (General) for the year 1997-98. (Not concluded)

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up Items 9 and 10 together.

Motions moved:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to be President out of the Consolidated Fund of India, of certain further sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending 31st day of March, 2001 in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof, against Demand Nos. 1, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 25, 40, 45, 54, 58, 63, 64, 68, 69, 71, 73, 78, 79, 81, 85, 87, 95 and 96."

"That the respective *excess* sums not exceeding the amounts shown in the third column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India to make good the excess on the respective grants during the year ended 31st March, 1998 in respect of the following Demands entered in the second column thereof:-

Demand Nos. 14, 47 and 80. "

* Moved with the recommendation of the President.

श्री राजो सिंह (बेगुसराय) : सभापति महोदया, कभी हम वित्त मंत्री जी को अपने राज्य का रहने वाला कहा करते थे, लेकिन अब यशवंत बाबू बिहार के रहने वाले नहीं हैं, वे अब झारखंड के रहने वाले हो गए हैं, फिर भी हमें खुशी है।

सभापति महोदया, मंत्री महोदय ने जो अनुदानों की पूरक मांगें रखी हैं, वे नियमानुकूल भी हैं। संविधान की धारा 115 के अनुसार राष्ट्रपति से जो अनुमति लेनी चाहिए थी, इन्होंने वह अनुमति लेकर सदन में इन मांगों को पेश किया है। कुल 27 मांगें प्रथम बैच में शामिल की गई हैं। ये इसके लिए 2536.66 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। इन्होंने टिप्पणी में भी लिखा है कि वर्ष 2000-2001 में अनुदानों की पूरक मांगों के प्रथम बैच में 27 अनुदान शामिल हैं। 2536.66 करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त व्यय को प्राधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा जाता है। इसमें से 632.99 करोड़ रुपए के कुल नकद व्यय शामिल किए जाने वाले प्रस्ताव हैं और 1903.55 करोड़ रुपए सम्बन्धित विभाग की बचत द्वारा पूरे किए जाएंगे।

इनकी मांग संख्या 1 कृषि और सहकारिता से सम्बन्धित है, जो किसानों के लिए बहुत आवश्यक है। अधूरे काम को पूरा करने के लिए उसमें स्टेट ट्यूबवैल के बारे में भी चर्चा की है। केन्द्र सरकार को बिहार सरकार से प्रोजेक्ट आया है। नाबार्ड के द्वारा स्टेट ट्यूबवैल लगाने का तीन फेज का प्रस्ताव आया था। एक फेज का पैसा गया, योजना स्वीकृत हुई, उसमें काम भी हो गया। किसानों को लाभ भी हो रहा है, बाकी दो प्रोजेक्ट अभी तक केन्द्रीय सरकार के पास बिहार के स्टेट ट्यूबवैल के लम्बित हैं। मैं इस मांग के द्वारा वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया इसको क्लियर करें, जिससे किसान स्टेट ट्यूबवैल अपने खेतों में लगाकर खेती से उपार्जन कर सकें।

दूसरी डिमांड कृषि विज्ञान केन्द्र की है। हिन्दुस्तान के प्रत्येक जिले में ये खुलने चाहिए थे। सरकार ने कृषि नीति की घोषणा की है। उसमें कहा गया है कि हम प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलेंगे। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी उदाहरण देना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में एक अरिमरी ब्लाक में कृषि विज्ञान केन्द्र खुला हुआ है। आप अगर देखें तो मालूम पड़ता है कि वह निःसहाय अवस्था में पड़ा हुआ है। वह इसलिए बनाया गया था कि वहां उन्नत बीज तैयार होगा, उन्नत औजार तैयार होगा, किसानों को सुविधा होगी, मेले लगाए जाएंगे और जो भी उन्नत बीज होगा, अन्य जगहों मे जाकर किसानों को अच्छी खेती का प्रदर्शन किया जाएगा जिससे उन्हें लाभ मिलेगा। मैं समझता हूं कि कृषि मंत्री जी इसमें भी पैसे की मांग कर रहे हैं, हम लोग इसका समर्थन करते ही हैं किंतु मेरा अनुरोध है कि इस पर विशेष तौर पर ध्यान देकर कृषि विज्ञान केन्द्र को बढ़ाने की भी व्यवस्था करें। किसानों को कृषि और सहकारिता दोनों इसी मांग में प्रस्तुत है। को-आपरेटिव के माध्यम से,

जो लैंड डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से किसानों को जो कर्ज मिलता था, वह आज नाबार्ड के द्वारा नहीं मिल रहा है। बिहार के किसानों को परेशानी हो रही है। मंत्री जी कृपा करके इस पर गौर करेंगे कि आपके बजट से अलग जो अनुदान, जो बजट आप बिहार को देते हैं, उससे अलग पैसा किसानों को मिलता था जिससे वह अपनी खेतीबाड़ी कर पाता था, इसलिए अब वह मृतप्राय हो गया है। आप नाबार्ड से सम्पर्क स्थापित करें और इसकी व्यवस्था करने की कृपा करें। मैं मांग संख्या 11 जो डाक विभाग की है, आप भी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ती होंगी, देहात में जाने का अवसर आपको मिलता होगा। हमारे वित्त मंत्री जी झारखंड क्षेत्र से आते हैं और हजारीबाग जिला इनका निर्वाचन क्षेत्र है। इनको मालूम है कि गांव में जो पोस्ट ऑफिस खुले हैं, वे कितनी दूरी पर हैं? खासकर छोटा नागपुर इलाके में 15-18 कि.मी. की दूरी पर पोस्ट ऑफिस है।

विज्ञान का युग है। आप इंटरनैट पर सारी कार्यवाही कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जहां 300,400 और 500 की आबादी है, वहां पोस्ट ऑफिस भी नहीं हैं। लोग किस तरह से अपने गांव या रिश्तेदार के पास चिट्ठी भेज सकते हैं? अगर उस गांव का कोई आदमी नौकरी कर रहा है तो मनी-ऑर्डर कैसे पहुंच सकता है? इसमें भी आपने पैसे की डिमाण्ड की है। संचार मंत्रालय ने एक स्कीम तैयार की थी। हमारे ही राज्य के संचार विभाग के आर. यू. प्रसाद सैक्रेटरी थे, उन्होंने एक संचार कार्यक्रम चलाया था, मैं समझता हूं कि जो बहुत उपयोगी था। अगर आप डाकघर ज्यादा नहीं खोल सकते हैं तो आपका मानदंड था कि जिस गांव की आबादी 300 की है, वहां पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलेंगे और शिक्षित नौजवानों को 300 रुपया देंगे तथा वे टिकट, पोस्ट कार्ड, लिफाफा आदि बेचेंगे तो उनको उसका भी बीस प्रतिशत मिलेगा। अगर डाकखाना खोलने में कठिनाई हो रही है, यू तो आप डाकखाना खोलिए लेकिन मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के सारे गांवों तक पहुंचने में आपको काफी समय और पैसा लगेगा। जो डिमाण्ड आपने की है, उसमें सबसे ज्यादा पैसा संचार पर रखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस व्यवस्था को आप चालू करवायें और संचार मंत्रालय को निदेश दीजिए कि पंचायत संचार सेवा केन्द्र, 300 की आबादी जो मापदंड है, वहां अधिक से अधिक खोला जाये, बिहार, यू.पी. और अन्य जगहों में भी खोला जाये। जो डिमाण्ड संख्या योजना मंत्रालय की है, इसमें यह कहते हैं कि हमारी जो योजनाएं हैं, अधूरी पड़ी हुई हैं, उनको पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। जसवंत बाबू बिहार की क्या स्थिति है, बिहार में गंडक परियोजना की क्या स्थिति है, बिहार में सकरी योजना की क्या स्थिति है, बिहार में जितनी भी सिंचाई की स्कीम्स थीं, वे सारी अभी तक अधूरी पड़ी हुई हैं। आपको हमने पत्र भी दिया था।

बिहार सरकार ने नाबार्ड के द्वारा सड़क-पुल का निर्माण कराने के लिए एक प्रस्ताव आपके पास भेजा था, जो आज तक आपके यहां लम्बित पड़ा हुआ है। उसके लिए आपने यह भी नहीं कहा कि उसको रिजैक्ट कर दिया गया है। प्रधान मंत्री जी द्वारा लाल किले से घोषणा हुई है कि जहां एक हजार की आबादी है, उसको हम तीन बरस में पक्की सड़क से जोड़ने की व्यवस्था करेंगे। यह कार्य कैसे पूरा होगा, क्योंकि आंकड़े 1952 के आधार पर लिए जा रहे हैं। किसी जगह उस समय 500-600 की आबादी थी, उस जगह की आबादी अब दुगुनी हो गई है। इसलिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको राज्य सरकारों को निर्देशित करना होगा कि अगर जनसंख्या का आधार 1992 के आधार पर है, तो सरकारी नियम के अनुसार 20 प्रतिशत और जोड़कर उस जगह पर सड़क का निर्माण करायें। मेरा निवेदन है कि बिहार सरकार से नाबार्ड के द्वारा सड़क बनाने का जो प्रोजैक्ट आया है, उसको क्लीयर कर दें, ताकि वहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले।

महोदय, मैं मांग संख्या 69, जो विद्युत मंत्रालय से संबंधित है, की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं - जनजातीय और दलित बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को सब्सिडी उपलब्ध कराने के लिए । आपको जानकारी है, इसी के द्वारा बिजली की व्यवस्था की गई थी। आज कहीं पर खम्भा है, तो तार नहीं है और कहीं पर तार है, तो खम्भा नहीं है। यह केवल बिहार का ही मामला नहीं है, पता नहीं देश में ऐसे कितने गांव हैं। मुझे तमिलनाडु जाने का भी अवसर मिला था, जहां से गृह राज्य मंत्री आते हैं। मैं पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी में था। मैं गुजरात भी गया था और वहां के चेयरमैन से भेंट की थी और मुख्यमंत्री से भी भेंट की थी। मैंने उनसे पूछा - आप गांव वालों के कितनी देर तक बिजली देते हैं ? उन्होंने कहा - गांव वालों को चार-पांच घन्टे से ज्यादा बिजली नहीं देते हैं। अगर गांव वालों को बिजली नहीं देंगे, तो ट्यूबवैल कैसे चलेंगे। वह नलकूप लगाकर कृषि का उत्पादन करना चाहता है, वह कैसे करेगा। आप सूद के लिए पैसे की मांग कर रहे हैं, लेकिन बजट में जो बुनियादी प्रावधान किया है, उस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि वे इस ओर ध्यान दें। महोदय, जब रूस को आजादी मिली थी, तो उस समय लैनिन रूस के नेता थे। गांव के सारे लोग आजादी मिलने पर लैनिन से मिलने के लिए आए, तो लकड़ी लेकर गए। उस समय बिजली नहीं थी। वहां पर काली पाव रोटी मिलती है, जिनको रूस जाने का मौका मिला होगा, उन्होंने देखा होगा। गांव के किसान और मजदूर लोग रोटी और जलावन लेकर लैनिन से मिलने के लिए गए। उन्होंने कहा, आप हमारे प्रतिनिधि बन रहे हैं, प्रधान मंत्री या प्रैजीडेंट बन रहे हैं, आप ठंड में नहीं रह सकते हैं, इसलिए जलावन आपको समर्पित करते हैं और खाने के लिए यह रोटी। रोटी रखे रहन पर, तीन-चार दिन में काली हो जाती है, खराब हो जाती है। इसलिए जब भी कोई वहां चीफ गैस्ट जाता है, तो उनके सामने काली पाव रोटी रखी जाती है। वह रोटी पहचान कराती है, वार की समाप्ति के बाद जब लैनिन प्रैजीडेंट हुए थे, तो उस समय लोगों की क्या भावनी थी। इस चीज का आजतक प्रचलन बना हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि बिजली एक अहम समस्या है। आप चाहे कितना ही विज्ञान को लेकर आयें, लेकिन बिजली के बिना काम नहीं हो सकता है। आप कहते हैं कि गांवों में टेलीफोन देंगे, कार में टेलीफोन देंगे और बिना बिजली के जनरेटर चलायेंगे, लेकिन डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको बिजली की व्यवस्था के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। संयोग से हमारे बिजली मंत्री अस्वस्थ हैं। मैं सदन की ओर से कामना करता हूं कि वे जल्दी से जल्दी ठीक हो जायें और सदन में आकर हम लोगों की शोभा बढ़ायें।

हम लोगों को मार्गदर्शन करें, यह हमारी उनके प्रति सद्इच्छा है।â€¦(व्यवधान)

महोदया, मांग संख्या 7-9 सड़कों से संबंधित है। आप इस पर पैसा लेकर क्या करेंगे। पैसा तो बजट में लिया, लेकिन उसे खर्च नहीं किया। दूसरी जगह की सड़क की स्थिति छोड़ दीजिए। मैं बिहार के बारे में बोलूंगा तो कितने लोग नाराज हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। दिल्ली की स्थिति क्या है। आपने रात को टी.वी. देखा था, अगर आपने देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि क्या स्थिति थी। औरतें पानी में कपड़ा उठा कर चल रही थी। वे सड़क पार नहीं कर पा रही थीं। सारी बसें दिल्ली में खड़ी हैं। बिजली की स्थिति दिल्ली में यह है, मैंने एक दिन पहले भी कहा था। हम लोगों के यहां परसों आठ घंटे तक महादेव रोड में बिजली नहीं रही।â€¦(व्यवधान) मैं साउथ ब्लाक में रहा। हमारे उत्तर प्रदेश के साथी बैठे हुए हैं, उनका हमारे बगल में डेरा है। उनसे पूछिए, सात घंटे तक बिजली नहीं थी और इसे कोई देखने वाला नहीं था। जिसे टेलीफोन करते थे, वह कहता था हमें मत कहो, दूसरे को कहो।â€¦(व्यवधान)

श्री अशोक प्रधान (खुजी) : दिल्ली में कांग्रेस की सरकार है।â€¦(व्यवधान) अगर हमारी सरकार होती तो बिजली की हालत बहुत अच्छी होती।â€¦(व्यवधान)

श्री राजो सिंह : आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो नेशनल थर्मल पावर है,â€¦(व्यवधान)

इस क्षेत्र में महादेव रोड और साउथ एवेन्यू पड़ते हैं। बिजली बोर्ड इस क्षेत्र के अंदर नहीं पड़ता हैं, यह आपको जानने की आवश्यकता है।â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अभी इलैक्ट्रिसिटी की चर्चा छोड़िए।

â€¦(व्यवधान)

श्री राजो सिंह : महोदय, मैं सड़क के बारे में कहना चाहता हूं कि नेशनल हाईवे अन्य राज्यों में काफी लम्बी दूरी से बनाया जा रहा है। पांच-छः वर्ष पहले से बख्तियारपुर से लेकर फरक्का तक नेशनल हाईवे स्वीकृत है। उसे आपकी सरकार ने स्वीकृत नहीं किया, पहले की सरकार ने स्वीकृत किया था। वह क्यों नहीं बन रहा है। नीतीश बाबू, बिहार शरीफ नेशनल हाईवे स्वीकृत किया था। आपको जाने का मौका नहीं मिला होगा। जार्ज साहब का आस्थामा क्षेत्र है, पूरा नेशनल हाईवे

लिया हुआ है। उसकी आज यह हालत है कि वहां गाड़ी से नहीं चल सकते। अगर पानी पड़ जाता है तो लोग जाते हैं, उसके अगल-बगल में जो दुकानदार बैठे रहते हैं वे गाड़ी वाले को गाली देते हैं कि गाड़ी में चलते हैं और छीटें हमारे ऊपर पड़ते हैं।

महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार के साथ इंसाफ किया जाए। जो नेशनल हाईवे स्वीकृत किया है उसे पूरा कराइए। आपको एक नेशनल हाईवे बिहार शरीफ से कलकत्ता तक जोड़ना पड़ेगा। दुमका, भाया शेखपुरा, सिकन्दरा, जमुई, देवघर, दुमका होते हुए कलकत्ता तक जोड़ना पड़ेगा।

â€¦(व्यवधान)

महोदय, अंत में मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अब तो आप बिहार से जा ही रहे हैं, इसलिए अब विदाई तो दे दीजिए। आपने जितना भला, बुरा, अच्छा सब कह लिया। बिहार की उन्नति के लिए सड़क, रोड, बिजली और किसानों की हालत को सुधारने के लिए जो पैकेज देना चाहते हैं, चूंकि आप सारे भारतवर्ष के वित्त मंत्री हैं, झारखंड राज्य के वित्त मंत्री नहीं हैं, बिहार भी इसी भारतवर्ष का एक अंग है, इसलिए उसे भी जल्दी से जल्दी पैकेज दीजिए। संभवत: आज ही बिहार को दीजिए। आप अनुदान भी देने वाले थे, वह दिया होगा। इन सारे कामों को कर दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं। मैडम, आपका हुक्म सर आंखों पर।

सभापति महोदय : धन्यवाद।

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले जो डिमांड्स माननीय वित्त मंत्री जी ने रखी हैं उनका समर्थन करता हूं। वर्ष 1997-98 की जो डिमांड नम्बर 14 है और साथ में अर्बन डिपार्टमेंट की डिमांड नम्बर 47 है। डिमांड नम्बर 47 में यह कहा गया है कि दिल्ली में जो झुग्गी-झोंपड़ियां हैं, उनके पुनर्वसन के लिए केन्द्र सरकार ने आर्थिक मदद की है। मुम्बई के अनेक सांसदों, संस्थाओं, राजकीय और गैर-राजकीय पक्षों और राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से अनेक बार विनती की है कि मुम्बई शहर में केन्द्र सरकार की जो जमीन है जैसे एयरपोर्ट की जो जमीन है, संसद में मुझे जो उत्तर दिया गया है कि वहां पर 85 हजार के करीब स्लम्स हैं यानि साढ़े चार लाख लोग एयरपोर्ट की जमीन पर रहते हैं। इसी प्रकार से मुम्बई में जो रेलवे की जमीन है उसमें लगभग पौने दो लाख के लगभग लोग रहते हैं। इसी प्रकार से पोर्ट-ट्रस्ट और सॉल्ट विभाग की जमीन है। कुल मिलाकर 52 लाख के करीब लोग झुग्गी-झोंपड़ियों में रहते हैं। इनमें से लगभग 12 लाख के करीब लोग केन्द्र सरकार की जमीन पर रहते हैं। जिस प्रकार से दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ियों के पुनर्वसन के लिए केन्द्र सरकार आर्थिक सहायता देती है, उसी प्रकार से मुम्बई में ये जो 12 लाख लोग केन्द्र सरकार की जमीन पर रहते हैं, उनके पुनर्वसन के लिए भी सहायता संभव हो सके तो ठीक है। लेकिन इनकी जो बेसिक जरूरतें हैं जैसे पानी, संडास, गटर, रास्ते और इलैक्ट्रिसिटी है, इनके लिए केन्द्र सरकार को अपने अर्थ-संकल्प में से, अपने बजट में से प्रावधान करना चाहिए, ऐसी मेरी पहली प्रार्थना है।

इसी विषय में जो प्लानिंग कमीशन का दूसरा विषय है कि प्लानिंग कमीशन के पास राज्य सरकार और मुम्बई के प्रतिनिधियों ने यह विनती भी की है कि मुम्बई के विकास के लिए एक हजार करोड़ रुपया केन्द्र सरकार को देना चाहिए। मैं उस विषय में अभी ज्यादा जाना नहीं चाहूंगा लेकिन माननीय मंत्री जी से इतनी प्रार्थना अवश्य करना चाहूंगा कि इसको ध्यान में रखकर ही इस विषय को देखना चाहिए। आर्थिक मदद और बेसिक सुविधाएं देनी की व्यवस्था होनी चाहिए।

मांग क्रमांक 58 " लॉ एंड जस्टिस " में लिखा है "The Supplementary Grant required will be Rs. 150 crore. The main reason that Supplementary Grant is sought for incurring expenditure on purchase of 1,50,000 are electronic voting machines for Election Commission of India." हमारी प्रार्थना है कि यह सप्लीमेंटरी डिमांड में क्यों लाना पड़ा, इसे मूल बजट में लाना चाहिए। वास्तव में जहां-जहां भी इलैक्ट्रोनिक मतदान हुआ है वहां पर रेंगिंग की संभावना कम हो जाती है। शहरी या ग्रामीण भागों में हमने देखा है कि इन-वैलिड वोटिंग बहुत होता है। लेकिन इसके आने के बाद इसकी संभावना ही नहीं बचती है। इस बार एक लाख पचास हजार इलैक्ट्रोनिक मशीनों का प्रावधान किया गया लेकिन जब आप 2001 का बजट लेकर आयेंगे तो इस विषय पर अधिक ध्यान देंगे। जो हम टोटल इलैक्ट्रोनिक रिफोर्म्स करना चाहते हैं और जिसके लिए सभी पक्ष सहमत हैं तो इस विषय पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है।

इसी के साथ-साथ हमने जो वोटर्स को पहचान-पत्र देने के बारे में सोचा था और उस पर आधा खर्च हुआ और बाद में यह विषय विवाद में पड़ गया कि कौन खर्चा करेगा, राज्य सरकारें करेंगी या केन्द्र सरकार करेगी। कई जगहों पर तो 90 प्रतिशत तक वोटिंग कार्ड दिये गये हैं और कहीं पर 60 प्रतिशत और कहीं पर 80 प्रतिशत तक दिये गये हैं।

इस सदन में अनेक बार यह विषय उठा है। जिस प्रकार इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन बनाते हैं, उसी प्रकार आइडैंटिटी कार्ड्स के बारे में भी ध्यान देना चाहिये।

सभापति महोदय, ऐसा कहा जाता है कि डैमोक्रेसी में लॉ एंड जस्टिस सब के लिये एक जैसा होना चाहिये। मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि देश में एक कानून एक विधान होना चाहिये लेकिन हमारे देश में टैलीकॉस्टिंग कम्पनी के लिये अलग नियम और कानून बने हुये हैं। हम टी.वी. पर जितने चैनल्स देखते हैं उनमें ज्यादातर विदेशी चैनल्स हैं । मैं आप का ध्यान उन विदेशी चैनलों की ओर दिलाना चाहता हूं जिनके लिये आप रैड कारपेट बिछाते हैं जबकि देसी चैनल्स के लिये 38 परसेंट इनकम टैक्स भरना जरूरी है। सी.बी.डी.टी. ने 2.5.1996 को विदेशी चैनल्स के लिये एक सरकुलर नम्बर 742 निकाला। मैंने जो लैटर लिखा है, उसका जवाब आया है 'It has also been mentioned in the letter that the guidelines contained in the circular were made applicable till 31st March 1998 after reasonableness of the pre-emptive tax rate of ten per cent will be reviewed.' जो सरकुलर आया है, उसमें कहा गया है कि टैक्सेशन आन फारेन टैलीकास्टिग कम्पनीज गाइडलाइन्स में 10 परसेंट प्रीजैम्पटिव टैक्सेशन के लिये इनकम मानी जायेगी। यदि फारेन टैलीकास्टिंग कम्पनी 100 करोड रुपये का प्राफिट करती हैं तो सिर्फ 10 करोड़ रुपया हिन्दुस्तान के लिये प्राफिट माना जायेगा। उसके ऊपर 45 परसेंट के हिसाब से साढ़े चार करोड़ रुपया टैक्स देना होगा। इसके लिये करेंट उदाहरण देना चाहूंगा। 'कौन बनेगा करोड़पति' स्टार टी.वी. पर एक प्रोग्राम चल रहा है। Star TV has registered itself as a foreign telecasting company. वास्तव में स्टार टी.वी. पर जो प्रोग्राम चलते हैं, वे हिन्दुस्तान में देखे जाते हैं लेकिन उन्होंने इनकम टैक्स विभाग से कहा कि हमारा रिले ऊपर सैटेलाइट से आता है और 142 देशों में जाता है, आप इस पर कैसे टैक्स लगा सकते हैं? हमारा सी.बी.डी.टी. विभाग इतना प्रामाणिक है कि 1996 में उसने उनके आर्गूमेंट को मान लिया। उन्होंने कह दिया कि आपकी जितनी भी इनकम होगी In India, for India, we will treat only ten per cent as income.

सभापति महोदय, आप बताइये कि 'कौन बनेगा करोड़पति' प्रोग्राम को अमरीका, साउथ अफ्रीका, जापान या मलेशिया में कौन देखता है? इस चैनल को इस साल 200 करोड़ रुपये का प्राफिट होगा और इसमें 80 करोड़ रुपया एड्वरटाइजिंग, कमीशन वगैरह में खर्च होगा। इस तरह से 120 करोड़ रुपये का नैट प्राफिट हुआ। अगर

वह इंडियन कम्पनी होती तो उसे 38 परसेंट के हिसाब से 45 करोड़ 60 लाख रुपया इनकम टैक्स के रूप में भरना पड़ता और यदि विदेशी कम्पनी होती तो 45 परसेंट के हिसाब से 54 करोड़ रुपये टैक्स देना होता लेकिन इनकम टैक्स विभाग ने 1996 में एक नया सैक्शन इसमें डाल दिया।

That is not an Indian company, nor a foreign company and that they are above all foreign telecasting companies. और अभी 120 करोड़ रुपये में से केवल 12 करोड़ रुपया भारतीय इन्कम मानी जायेगी। इसमें से 45 परसेंट के हिसाब से 5 करोड़ 40 लाख रुपया टैक्स के रूप में भरना पड़ेगा।

अब - कौन बनेगा करोड़पति - प्रोग्राम कौन देखने वाला था। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि आज आप जितने भी चैनल्स देख रहे हैं Whether it is Star, whether it is Zee or whether it is Sony, all these television channels have registered themselves as a foreign telecasting company. और सिर्फ इतना ही नहीं है, जो लैंग्वेज चैनल्स हैं, उन्होने भी खुद को फॉरेन टेलीकास्टिंग कम्पनी के रूप में रजिस्टर्ड करा लिया है। वे हमारे डिपार्टमैंट को कहते हैं और हमारा डिपार्टमैंट उसे मान लेता है। आप ही बताइये कि जो तेलुगू, मराठी या गुजराती भाषा का चैनल होगा, उसे बाहर कौन देखने वाला है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि फॉरेन टेलीकास्टिंग कारपोरेशन के बारे में सभी के लिए एक ही कानून बनाइये। यह रेड कारपेट ट्रीटमैंट नहीं है, यह एक मेनीपुलेशन है। 1996 में यह सर्कुलर साल भर के लिए निकला और दो साल के बाद वह टैम्पोरेरी प्रोविजन कायम कर दिया गया। मैंने यहां एक अन्स्टार्ड क्वश्चन पूछा था, मुझे उसका उत्तर आया है। चूंकि वास्तव में केबल टेलीविजन पिछले पांच-छः साल में शुरू हुआ और हमारा डिपार्टमैंट पिछले छः साल में सिर्फ 61 करोड़ रुपये ही कलेक्ट कर सका।

1537 बजे (श्री श्रीनिवास पाटील पीठासीन हुए)

इन सब टेलीकास्टिंग कम्पनी के पास से इंकम टैक्स का टोटल कितना पैसा आया - केवल 61 करोड़ रुपये। महोदय, जो सप्लीमेन्टरी डिमांड रखी हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। मैं इसमें किसी सरकारी या पोलिटीकल मिनिस्टर को दोष नहीं देना चाहता हूं। लेकिन आप डिपार्टमैंट को निर्देश दें। मैं यह आपको बता रहा हूं कि दस में से नौ चैनल्स आप देख रहे हैं, वे रजिस्टर्ड हैं। अभी कल के जो केबल चैनल्स आये हैं उन्होंने भी फॉरेन टेलीकास्टिंग कम्पनी के रूप में रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उनका अपलिंकिंग से कुछ लेना-देना नहीं है, यह प्योरली टैक्स सेविंग के लिए डिवाइस बनाई गई है और उसका मिस्यूज हो रहा है। इसे आप तुंरत बंद करें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस मांग का समर्थन करता हूं।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : माननीय सभापति महोदय, जनरल बजट की अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेने का आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अभी जो अनुदानों की पूरक मांगों पर चर्चा चल रही है, मैं उनका समर्थन करता हूं। इसमें छः नम्बर पर जो उर्वरक विभाग के लिए मांग की गई है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान पी.पी.सी.एल. की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें पी.पी.सी.एल. की चर्चा है, लेकिन आज पी.पी.सी.एल. की क्या स्थिति है। मुझसे वहां के कर्मचारी संघ के लोग मिले थे और कतिपय माननीय सदस्यों से भी उन्होंने अनुरोध किया है, उनके रीहैबिटेशन की स्कीम थ्रू मिनिस्ट्री वित्त विभाग में लम्बित है। आज के वैश्वीकरण के दौर में हमें अपने संस्थानों की बचाने की आवश्यकता है तथा पी.पी.सी.एल. का जो प्रस्ताव लम्बित है, हमे वह मानकर उसे बचाना चाहिए। ताकि वह उद्योग बच सके और ठीक ढंग से काम कर सके।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से माननीय सदस्य श्री राजो सिंह जी ने संचार की ओर सदन का ध्यान आकृट किया है। मैं उनका भी समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं कि संचार में टेलीफोन के लिए जो कार्य हो रहे हैं, वे अच्छे कार्य हो रहे हैं, फिर भी उनमें और सुधार किया जाना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से डाक विभाग के डाकघर दूर-दूर हैं और नये डाकघर खोलने के लिए जो लम्बी प्रक्रिया है। हम काफी दिनों से इस सदन में हैं, बीच में 13 महीने हम सदन में नहीं थे। हम लोगों ने काफी प्रयास किया, परंतु हमारे इलाके में डाकघर नहीं खुल सका।

बताया जाता है कि वित्त मंत्रालय के पास सैंक्शन के लिए भेजा गया है। आखिर जो सरकार का कमिटमेंट है, जिस प्रकार से कम से कम 2000 की आबादी पर, 2-3 किलोमीटर के अन्दर डाकघर खोलने हैं, इसको और पैसा देकर जहां आवश्यक है, वहां खोलने के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। आज मैं यहां चर्चा करने से चूकना नहीं चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय बिहार से आते हैं। अभी राज्य के पुनर्गठन के बाद नये राज्य में इनका क्षेत्र आ जायेगा।

अभी बिहार और देश के अन्य भागों में भयंकरतम बाढ़ आई है। बाढ़ के सम्बन्ध में भी मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय का ध्यान खींचना चाहता हूं कि बाढ़मुक्ति के लिए निश्चित रूप से इसमें विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। आजादी को 50 वर्ष बीत चुके हैं, हम स्वर्ण जयन्ती वर्ष मना चुके हैं, लेकिन जब 1952 में आंका गया था तो जिस प्रकार से बाढ़ वाले इलाके थे, वे बढ़ते-बढ़ते आज 40 मिलियन हैक्टेयर हो गये, उन पर बाढ़ का प्रभाव पड़ा है। उससे अरबों रुपये की सम्पत्ति नट होती है, जान-माल का नुकसान होता है। इस वर्ष भी देश भर में आंका गया है कि 50 हजार करोड़ रुपये की सम्पत्ति नट हो चुकी है, जबकि बाढ़ आने का मौका बाकी है। इसमें पहले से पड़ोसी राष्ट्र से बात करने का सवाल था। 1960 के दशक में जल संसाधन मंत्री श्री के.एल.राव हुआ करते थे, उनके समय की बातें आज भी अधूरी हैं। इस कारण से हम बाढ़पीड़ित हैं। बाढ़ से हर साल बर्बाद होते हैं, रिलीफ में काफी पैसा खर्च करते हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या इसको प्रमुख मुद्दा बनाकर 50 वर्ष के बाद निपटाने का, बाढ़मुक्ति के बारे में सोचना का काम होगा या नहीं। इसके दो पक्ष हैं, एक तो यह कि यह स्टेट सबजैक्ट है। सभी स्टेट्स में जो नदियां हैं, उन नदियों को खुदाई करके 100 साल पहले की गहराई देनी है और दूसरे एक नदी से दूसरी नदी के बेसिन को मिलाना है। फिर तटबन्ध की मरम्मत करके बाकी जगहों में तटबन्ध बनाकर नहर निकाल निकाल कर सिंचाई की बात करके बाढ़ को कम करना है। इसका दूसरा पक्ष है कि पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में हाई डैम बनाकर पनबिजली पैदा करनी है। वहां बाढ़ और वर्षा के समय अतिरिक्त पानी को रोककर, गर्मी के समय में छोड़कर सिंचाई का भी काम करना है। बाढ़ बिल्कुल बन्द नहीं हो सकती है, लेकिन बाढ़ को कम करके जान-माल को बचाया जा सकता है। मुझे खुशी है कि अभी नेपाल के माननीय प्रधान मंत्री आये थे, समाचार-पत्रों में छपा कि बाढ़मुक्ति पर भी दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में वार्ता हुई है और आगे कुछ होने वाला है। जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, उनके जनप्रतिनिधियों को भी वार्ता में शामिल करके स्थाई निदान इसी वित्तीय वर्ष में ढूंढना चाहिए ताकि भारत सरकार नेपाल सरकार से बात करके वहां हाई डैम बना सके। फिर बिहार सरकार को राशि मिले और बिहार सरकार उन तमाम नदियों की गहराई को 100 साल पुरानी गहराई ला सके। नदी को नदी से मिलाकर तटबन्धों को ठीक से बना के और बाढ़मुक्ति हो सके।

इसमें सड़क की चर्चा हुई है। सड़कों के लिए अनुदान की मांग रखी गई है। सड़क के बारे में माननीय कई सदस्यों ने भी चर्चा की है। विभिन्न प्रकार के ग्रामीण विकास पर भी पैसे की मांग की गई है। लोक निर्माण शीर्ष में भी मांग की गई है। गांवों के विकास के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों के लिए सुनिश्चित रोजगार योजना, जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना, इन्दिरा आवास योजना दी हैं। इसके अलावा अभी-अभी इस वर्ष के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने गांव की सड़कों को जोड़ने के लिए प्रधान मंत्री इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट स्कीम के तहत कई योजनाओं को शुरू किया है।

उसमें कई राज्यों को पैसे भी दिए गए हैं, जो पेट्रोल से और डीजल से उपकर लिया जाता है, उस पैसे को बांट कर राज्यों में हॉट मिक्स प्लांट से सड़क बनाने की बात कही गई है, लेकिन उसकी अभी गाइडलाइंस भी शायद नहीं बनाई गईं। हम वित्त मंत्री जी को स्मरण दिलाना चाहते हैं कि संसद सदस्यों को प्रत्येक वर्ष दो करोड़ रुपए सांसद क्षेत्र विकास योजना के लिए दिए जाते हैं। मुद्रास्फीति बढ़ गई है, महंगाई काफी आगे चली गई है, रुपए की कीमत घटती चली जा रही है इसलिए इस पर भी गौर करना चाहिए। हम बिहार से आते हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में छः जिले आते हैं, वहां प्रत्येक जिले में 30 लाख रुपए से 33 लाख रुपये व्यय होते हैं। जबकि वहां के विधायकों को बिहार सरकार ने इसी काम के लिए जो 50 लाख रुपए की राशि थी, उसको बढ़ा कर एक करोड़ किया और फिर इस वित्तीय वर्ष में उसे

बढ़ा कर डेढ़ करोड़ रुपए कर दिया गया है। आप सोच सकते हैं कि संसद सदस्यों को किस हालात से गुजरना पड़ रहा है। कहीं भी विकास का काम नहीं हो पाता। इसलिए हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि इस महंगाई के जमाने में, छः क्षेत्रों को मिलाकर और विधायकों को दी जाने वाली राशि को देखते हुए सांसद क्षेत्र विकास योजना में बढ़ोत्तर करके उसे पांच करोड़ रुपए कर दिया जाए, नहीं तो बंद कर दिया जाए, ताकि रोज-रोज की परेशानी दूर हो सके।

सभापति महोदय, सुनिश्चित रोजगार योजना में भारत सरकार राशि देती है। यहां से पैसा जाता है। पेट्रोल और डीजल के उपकर से भी आप पैसा देने वाले हैं। हम बिहार से आते हैं, वहां की मुख्य मंत्री ने सदन में घोाणा की है कि विधायकों की अनुशंसा पर रोड्स को बनाया जाएगा। सुनिश्चित रोजगार योजना में किसी भी संसद सदस्य की अनुशंसा या उनके सुझावों को ध्यान में नहीं रखा जाता। जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना है, लेकिन हमारे राज्य में पंचायतों का चुनाव नहीं हुआ है। देश में अन्य राज्यों में पंचायती राज किसी न किसी रूप में लागू है। इस कारण बिहार में कोई भी केन्द्रीय प्रायोजित योजना में संसद सदस्यों के सुझावों को शामिल नहीं किया जाता। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि पिछले साल दिसम्बर में ग्रामीण विकास मंत्री जी ने राज्य सभा में आश्वासन दिया था कि जिले में डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन संसद सदस्य को बनाया जाएगा। लेकिन आज तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ। इस सदन में एक-दो बार नहीं, कई बार पट्वा साहब ने आश्वासन दिया कि उस पर विचार चल रहा है। अब दूसरा दिसम्बर आने वाला है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। संसद सदस्यों के क्षेत्रों में त्वरित जल आपूर्ति के तहत नल लगाने के लिए, सेनेट्री के लिए पैसा जाता है, इंदिरा आवास के लिए पैसा जाता है, सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत सड़क बनाने के लिए पैसा जाता है, लेकिन इन केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में संसद सदस्यों को सुझाव उपेक्षित रह जाते हैं। हम वित्त मंत्री जी से सीधे-सीधे सवाल करना चाहते हैं और उत्तर चाहते हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि या तो जन प्रतिनिधियों से मुक्त करके कलेक्टर और बी.डी.ओ. को उसका हैड बनाया जाए अथवा संसद सदस्यों के सुझावों को अनिवार्य बनाने की प्रक्रिया शुरू की जो। इसलिए जो दूसरे सदन में मंत्री जी ने आश्वासन दिया था, उसको लागू किया जाए, अन्यथा यह योजना कागजी बन कर रह जाएगी।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं सदन के सभी माननीय सदस्यों की इन दो बातों में रुचि है कि केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के संचालन में डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन बना कर संसद सदस्यों को अधिकार दिया जाए कि वे अपने सुझावों को लागू करा सकें और दूसरा यह कि एम.पी. लैड में दो करोड़ की राशि को बढ़ा कर पांच करोड़ रुपए किया जाए। इसकी घोाणा वित्त मंत्री जी अपने उत्तर में करने की कृपा करें।

इसके साथ ही मैं एक चर्चा और करना चाहता हूं। अभी राज्य पुनर्गठन विधेयक पास हुए हैं। बिहार में अलग झारखंड राज्य बन रहा है, बन ही गया है।

चूंकि मैं शेा बिहार से आता हूं, जहां बालू है, बाढ़ है और सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। हम माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि जो पैकेज की मांग बिहार विधान सभा से एक लाख 79 हजार करोड़ रुपये की आई है, उसे स्वीकार करके फिर फैसला किया जाये नहीं तो उत्तर बिहार में जो असंतोा फैल रहा है, वह और फैल जाएगा। चूंकि एक तरफ न्याय दिया गया है और दूसरी तरफ न्याय देने में विलम्ब किया जा रहा है, वहीं हम जोर देना चाहते हैं कि आप बिहार के प्रशासनिक पदों पर भी रहे हैं, बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के मंत्री भी रहे हैं, उत्तर बिहार की फूड प्रोसैसिंग इंड्स्ट्री में जो डैवलपमेंट हो सकता है, वह किया जाये। जो कृषि है, उसमें सुधार हो सकता है। कृषि विज्ञान केन्द्र बहुत सी जगहों पर नहीं हैं। जो नेशनल रोड की स्थिति है, क्षेत्रफल के हिसाब से जो उत्तर बिहार का हिस्सा होना चहिए, वह राष्ट्रीय औसत में लाने की कृपा इसी वित्तीय वर्ा में करें। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र को बाढ़ मुक्त करने का फैसला जल्दी से जल्दी करने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI RUPCHAND PAL (HOOGLY): Sir, the first batch of Supplementary Demands for Grants for the current financial year has been presented. A gross additional expenditure of Rs. 2,536.66 crore has been proposed although the net outgo would be to the tune of Rs. 632.99 crore. The rest would be made up through savings of the concerned departments by enhanced receipts or recoveries totalling Rs. 1903.55 crore.

Sir, there is a proposal of Rs. 152 crore as Budgetary support to seven PSUs. They are MAMC, NBCIL, RIC, TAFCO,Wagon India Limited, BPMEL and TCIL. There, all the support is not as a support to the revival package, but that is for the purpose of winding up these PSUs and for offering voluntary retirement packages. Although the Expert Committee has categorically stated that they never recommended winding up, they had recommended that they should be properly studied and ways can be found out for reviving them. It is not being done. These units, with enough potential for revival, being as part of disinvestment, are being wound up.

Sir, when we were discussing the disinvestment a few days back, we had asked a question which, I think, is yet to be answered. The reform process was started during the period of Shri P.V. Narasimha Rao. We had asked a question then. What were they doing in the form of strategic sale? They were selling in the name of disinvestment, more than 81 per cent. It is not disinvestment, and never the Congress had − that was their argumentâ€"any such idea. Now, we find that various profit making units have been sold out.

Sir, here is a proposal that money is being provided for winding up. I am asking a question. According to the Government Reports, Rs. 1,736 crore are statutory dues in the form of due wages, salaries, Provident Fund, etc.

The dues of the Central PSUs in the form of salaries are only Rs.386 crore. I am making a reference to some of the PSUs. These are: RIL, Cycle Corporation of India, Refractories Unit of Burn Standard, National Instrumentation and Jessop. For the last six months, they are not getting their statutory dues and many employees and workers are virtually starving. May I ask the hon. Finance Minister which this budgetary support contains this amount of money which is the statutory dues to these people. They are not being provided these dues and for the last six months they are not getting their salary. Now they are on the verge of starvation.

My second query is, how much of this amount from the budgetary support, which is being provided, is going for revival − if there is any − and if that is there, what is the quantum of that? Bharat Ophthalmic need Rs.20 crore and there was an assurance from the Government side that the Government is seriously considering the revival of Bharat Ophthalmic. A small amount is required for this good public sector unit with a potential to survive with a little support from the Government. What is the amount being proposed as a budgetary support and is there any consideration on the Government side for the rehabilitation of this too?

An amount of Rs.150.70 has been proposed as equity support to Hindustan Machine Tools Ltd. This is a good thing. But for the revival of the HMT, the sum required is more than what is being proposed. Would the Finance Minister explain in detail about their idea, about how they propose to revive this particular unit?

There is another amount which is going as support to the fertiliser units. They are: Hindustan Fertiliser, the Fertiliser Corporation of India and the Pyrites and the Phosphate Chemicals Ltd (PPCL). My query is, is it for the Namrup unit under the Hindustan Fertiliser and the Sindri unit under the FCI? If that is so, what about Durgapur? I am told that there is a consideration in the Ministry that after the creation of the Jharkhand State, there is a demand that Barauni being a very important unit in the fertiliser sector, it should be helped adequately. It is a very welcome demand and I am in full support of such a thinking. But what

about Durgapur? If Barauni is being considered or can be considered because of a new situation that has been created as a result of this reorganisation process, then Durgapur should also be considered because Durgapur is a very important unit, rather that is the only unit producing urea.

MR. CHAIRMAN: Just a minute, Shri Rupchand Pal. At four o'clock, we have to take up the other business. So, you can continue later on.

SHRI RUPCHAND PAL : Okay, Sir. Thank you.